कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज(प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/शि.संस्था/एफ–4/विदेश यात्रा/1260/2018/ **दिनांक– 22.04.19**

जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा,
सीकर।

विषयः– श्रीमती आरती कुमावत,अध्यापिका, राउप्रावि,न02 श्रीमाधोपुर जिला सीकर को विदेश यात्रा की अनुमति बाबत।

प्रसंगः–आपका पत्र क्रमांक 3093 दिनांक 10.04.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है, श्रीमती आरती कुमावत,अध्यापिका, राउप्रावि,न02 श्रीमाधोपुर जिला सीकर जिनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक **17.01.2008** है तथा राज्य सेवा मे स्थाई रूप से कार्यरत है, को दिनांक **05.06.19 से 09.06.2019** तक की अवधि में **थाईलेण्ड** की विदेश यात्रा की अनुमति निम्नांकित शर्तो के तहत प्रदान की जाती हैः–

1. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नही करेंगे।
2. विदेश यात्रा के लिये प्रथम बार मे आवेदित अवकाश मे किसी प्रकार की वृद्धि निदेशालय की अनुमति के बिना स्वीकृत नही होगी। निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नही आने पर सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3. विदेश मे किसी प्रकार का अध्ययन नही करेंगे।
4. विदेश से भेजा गया त्याग पत्र स्वीकृत नही किया जाएगा।
5. विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नही किया जायेगा एवं नां ही राजकीय स्त्रोत से कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
6. विदेश प्रस्थान से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत पश्चात ही प्रस्थान करेंगे।
7. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नही करेंगे।
8. विदेश प्रवास के दौरान जहॉ–जहॉ पर रहेंगे उनके पतों से इस विभाग को तुरन्त अवगत कराऐंगे।
9. यात्रा का समस्त खर्च स्वयं के द्वारा वहन किया जाएगा।
10. विदेश यात्रा अवधि मे शाला मे अध्ययन कार्य बाधित नही होना सुनिश्चित किया जाए।
11. **चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कार्मिक के मुख्यालय छोड़ने तथा अवकाश के सम्बन्ध में सक्षम स्वीकृति पूर्व में ही प्राप्त कर यात्रा पर प्रस्थान करावें ।**

उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

22|4|19
उपनिदेशक
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंराज (प्रारं. शिक्षा)
विभाग,राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
2. श्रीमती आरती कुमावत,अध्यापिका, राउप्रावि,न02 श्रीमाधोपुर जिला सीकर
3. प्रभारी सूचना सहायक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
4. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंराज (प्रारं. शिक्षा)
विभाग,राजस्थान, बीकानेर